न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2024

लालचन्द पुत्र छीतर जाति गुर्जर, आयु लगभग 53 साल निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.08.2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री देवकरण गुर्जर
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री देवकरण गुर्जर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वत्व अधिकार, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि के खाता संख्या नया 45 के खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.9304 हैक्टेयर ग्राम पेड़ीभाटा पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित हैं। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख अनुसार प्रार्थी के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु कोई रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 4 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 169/162 क्षेत्रफल 2.9523 हैक्टेयर किस्म गै.मु. छापर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है उक्त सरकारी भूमि के पूर्व दिशा में मौके पर पेडीभाटा जाने वाली पक्की सड़क बनी हुई है जिसके खसरा संख्या 170/162 रकबा 0.6795 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में तरमीम शुदा रिकोर्डेड रास्ता हैं। उक्त रिकोर्डेड गै.मु. रास्ते से लगती हुई अप्रार्थी की सरकारी भूमि में से ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में पहुंच हेतु सरल, सुगम, लघुतम, निकटतम रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है तथा रिकोर्डेड गै. मु. रास्ता से अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा 169/162 में से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4 में आवागमन करता है एवं अपने वाहन ट्रेक्टर ट्रोली आदि ले जाता व लाता रहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 4 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 169/.162 क्षेत्रफल 2.9523 हैक्टेयर किस्म गै.मु. छापर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है उक्त सरकारी भूमि के लगती हुई मौके पर पेड़ीभाटा जाने वाली पक्की सड़क रिकोर्डेड गै.मु. रास्ते पर बनी हुई है जिसके खसरा संख्या 170/162 रकबा 0.6795 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता है। उक्त रिकोर्डेड गै.मु. रास्ते से लगती हुई अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 169/162 की भूमि है प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी की खसरा संख्या 4 की कृषि भूमि तक पहुंच के लिए रिकोर्डेड गै. मु. रास्ता खसरा संख्या 170/162 के लगती हुई अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 169/162 के दक्षिण सींव के सहारे होते हुये पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रार्थी अपनी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

की भूमि खसरा संख्या 4 में पहुंच हेतु 60 फीट चौड़ा रास्ता, मौके पर बनी पक्की सड़क रिकोर्डेड गै.मु.रास्ते तक लगता हुआ चाहता है तथा रिकोर्डेड गै. मु.रास्ते पर मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है जो रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में चली आ रही है अप्रार्थी की उक्त सरकारी भूमि में से उक्त रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में रास्ते से होकर अपने खेत तक आ जा सकता है जो रिकोर्डेड रास्ते तक सुगम, सरल, लघुतम, निकटतम, सुलभ, रास्ता है। उक्त सरकारी जमीन में से ही प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आता जाता रहा है एवं अपने कृषि यन्त्र ट्रेक्टर मय ट्रोली आदि लाता व ले जाता रहा है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 4 में अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 169/162 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित रास्ते के अलावा अतिरिक्त प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी कीं भूमि खसरा संख्या 4 में पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 60 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–(क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि के आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पड़ौसी काश्तकारों/राज. सरकार से रास्ते की मांग कायम करवाने का विद्यायिका द्वारा अधिकार प्रदत्त किया गया है। उक्त अधिकार अन्तर्गत भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वांछित अनुतोष बाबत् अवधारणीय है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में कोई दुर्भावना या दुराशय नहीं है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि खसरा संख्या 4 में आने जाने के आवागमन हेतु उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित ही एकमात्र सरल, सुगम, लघुतम, निकटतम, सुविधाजनक रास्ता है जो मौके पर पेड़ीभाटा जाने वाली पक्की सड़क रिकोर्डेड गै.मु.रास्ते से लगता हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ते के बाबत् माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है उक्त समस्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थी इच्छुक, तत्पर एवं सहमत है। प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित रास्ते में आयी भूमि की राज्य सरकार के नियमों के तहत जो शुल्क निर्धारित किया जायेगा उसी अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थी के सरकारी खाते में राशि अदा करने के लिए तैयार व तत्पर एवं सहमत है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 में वर्णित एवं प्रार्थना पत्र संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ते को 60 फीट चौड़ा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे एवं उक्त रास्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 4 तक पहुंच के लिए अप्रार्थी की सरकारी भूमि खसरा संख्या 169/162 में से मौके पर पेड़ीभाटा जाने वाली पक्की सड़क जो रिकोर्डेड गै.मु. रास्ता तक कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 03.02.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मोका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम पेडीभाटा स्थित खसरा संख्या 04 रकबा 0.9304 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 169/162 रकबा 2.9523 हैक्टेयर से दिया जा सकता है, जिसमें से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0731 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 7430506/– प्रति हैक्टैयर के अनुसार 10,86,340 अक्षरे दस लाख छियासी हजार तीन सौ चालीस रूपये होगी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 04 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 169/162 से से आवागमन करता है। खसरा संख्या 169/162 में से रकबा 0.0731 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 04 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का सुखाधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 169/162 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0731हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 169/162 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0731 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 10,86,340 /– अक्षरे दस लाख छियासी हजार तीन सौ चालीस रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0731 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 10,86,340 /– अक्षरे दस लाख छियासी हजार तीन सौ चालीस रूपये मात्र तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2024/7850 दिनांक 10.12.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0731 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)